# बिहार सरकार
## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–4./प्रा0क01–105/2025 285 पटना, दिनांकः– 02/06/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषयः– लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम अंतर्गत Creating Video/Clip from Empaneled agency for Extensive Media Coverage and others works for the year 2025-26 संबंधी कराये गये कार्यों के विरूद्ध ₹25,62,155/– (पच्चीस लाख बासठ हजार एक सौ पचपन रूपये) मात्र की स्वीकृति।

(विपत्र कोड संख्या–36-2215011010004)

आदेशः– स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अंतर्गत विपत्र कोड–36–2215011010004, मांग सं0– 36–मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–101–शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम–उपशीर्ष–0004–शहरी जलापूर्ति योजना के विषय शीर्ष (27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मद के अन्तर्गत विकलनीय है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि की सीमा तक ही सीमित रहेगा।
4. इस कार्य के लिए कोई नया पद का सृजन नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पश्चिम होंगे तथा कलेक्टेरियट कोषागार पटना से निकासी की जाएगी।
6. स्वीकृत राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. उक्त कार्य पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
8. इस पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. उक्त कार्य पर प्रधान सचिव का प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त है।
10. उक्त कार्य PWD Code एवं वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए किया जाएगा।
11. इस संबंध में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।।

विश्वासभाजन,

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः–4/प्रा0क01–105/2025 285 पटना दिनांकः– 02/06/2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय एवं कार्य प्रबंधन) कोषांग/मुख्य अभियंता (उ0बि0)/कोषागार पदाधिकारी, कलेक्टेरियट, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा0 अभि0 अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0प्रमं0, पटना पश्चिम/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–10 एवं आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)